संख्या-15/2015/1411एस0सी0/18-2-2015-34/12

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त
उ0प्र0, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

विषय- प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उदयोग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या'111 एस0सी0/18-2-2013-34/12 दिनांक 28 जनवरी, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से प्रदेश में औदयोगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से गन्ना विकास एवं चीनी उदयोग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर चीनी मिलों, आसवनियों व कोजनरेशन की स्थापना हेतु चीनी उदयोग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 लागू की गई है।

2- उक्त निर्गत नीति के अन्तिम प्रस्तर यथा छूट एवं रियायतें की शर्त संख्या-2 के अन्तर्गत अन्य के अलावा यह भी व्यवस्था है कि ''कोजन/ आसवनी अथवा कोजन और आसवनी स्थापित करने में कम्पनी/ इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 02 वर्ष के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाएगा''।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है **कि चीनी उदयोग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के उक्त प्रस्तर में निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है:-**

"कोजन/ आसवनी अथवा कोजन और आसवनी स्थापित करने में कम्पनी /इकाई दवारा नीति घोषित होने के दो वर्षो के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की शर्त के स्थान पर चार वर्ष का समय निर्धारित किया जाता है।"

4- तदनुसार उक्त सीमा तक नीति को संशोधित समझा जाए। नीति में प्राविधानित शेष अन्य व्यवस्था यथावत रहेगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

---------2 पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/1411(1)एस0सी0/18-2-15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनउ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनउ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनउ।
12- निदेशक, गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।
13- निदेशक, गन्ना शोध परिषद लखनउ।
14- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0, लखनउ।
15- चीनी उद्योग अनुभाग-1 एवं 3
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।